सं. 21(2)/2016-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

*****

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पी.बी.-4 में 10,000/- रुपए ग्रेड वेतन आहरित कर रहे अधिकारियों के मामले में परिवहन भत्ते की स्वीकार्यता पर स्पष्टीकरण के संबंध में।

इस विभाग के दिनांक 29.08.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 21(2)/2008-ई.II(बी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस का. ज्ञा. का पैरा '3' यह विनिर्दिष्ट करता है कि 10,000/- रुपए और उससे अधिक का ग्रेड वेतन आहरित करने वाले तथा एचएजी+ वेतनमान में कार्यरत अधिकारी जो व्यय विभाग के दिनांक 28.01.1994 के का. ज्ञा. सं. 20(5)/ई.II(ए)/93 के अनुसार, सरकारी कार का उपयोग करने के पात्र हैं, को विद्यमान सुविधा का लाभ उठाने अथवा 7,000/- रुपए प्रति माह की दर से परिवहन भत्ता और उस पर महंगाई भत्ता आहरित करने का विकल्प दिया जाएगा।

2. इस विभाग में गतिशील सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन स्कीम अथवा गैर-कार्यात्मक उन्नयन स्कीम के तहत 10,000/- रुपए का ग्रेड वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों के लिए परिवहन भत्ते की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे जाने के बारे में अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं। न्यायालयों में भी इस संबंध में कुछ मुकदमे दायर किए गए हैं। माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने श्री राधाचरण शाकिया एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर ओ. ए. सं. 4062/2013 में दिनांक 13.05.2014 के आदेश में यह माना कि आवेदक 7,000/- प्रति रुपए माह की दर से परिवहन भत्ता और उस पर महंगाई भत्ता आहरित करने के पात्र नहीं हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी श्री राधाचरण शाकिया एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (सिविल) सं. 3445/2014 में दिनांक 03.09.2014 के अपने आदेश में अधिकरण के उक्त आदेश का समर्थन किया है।

3. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अधिकारी जो व्यय विभाग के दिनांक 28.01.1994 के का. ज्ञा. सं. 20(5)/ई.II(ए)/93 के अनुसार, आवास से कार्यालय और कार्यालय से आवास जाने के लिए सरकारी कार का उपयोग करने के पात्र नहीं हैं, वे व्यय विभाग के दिनांक 29.08.2008 के का. ज्ञा. सं 21(2)/2008-ई.II(बी) के अनुसार 7,000/- रुपए प्रति माह की दर से परिवहन भत्ता और उस पर महंगाई भत्ते के आहरण का चयन करने के पात्र **नहीं** हैं चाहे वे गतिशील सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन स्कीम अथवा गैर-कार्यात्मक उन्नयन स्कीम के तहत पी.बी.-4 में 10,000/- रुपए का ग्रेड वेतन आहरित क्यों न कर रहे हों।

निर्मला देव
19/08/2016

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

फोन: 23093276

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ) प्रेषित।
3. एनआईसी को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।